HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED
(A State Govt. undertaking)

Registered office	VidyutBhawan, HPSEBL, Shimla-171004(H.P)
Corporate Identity Number	U40109HP2009SGC031255
GST No.	HPSEBL 02 AACCH4894EHZB
Telephone Number	0177-2803600,2801675(Office), 2813563(Fax)
Website address	www.hpseb.in
Email	md@hpseb.in &dif@hpseb.in

संख्याः हि0प्र0रा0वि0परि0लि0(सचिव) आर0 एण्ड ई0/ सरकार निर्देश/2021-1912-26 दिनांकः-8/4/21

सेवा में,

1. समस्त मुख्य अभियन्ता हि0 प्र0 रा0 वि0 परि0लि0।
2. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा एवं वित्त) हि0 प्र0 रा0 वि0 परि0 लि0 शिमला –4।
3. अधीक्षण अभियन्ता (IT) हि0 प्र0 रा0 वि0 परि0 लि0 शिमला–4 Web Site अपलोड करना।
4. उप निदेशक (कार्मिक)/संयुक्त निदेशक (PRO) हि0 प्र0 रा0 वि0 परि0 लि0 शिमला–4।
5. समस्त उप सचिव/अवर शिमला–4।

विषय, महिला कल्याण बोर्ड की बैठक बारे1

महोदय,

उपरोक्त विषय से समन्धित पत्र संख्या हि०प्र०स्टे०ई०बो० लि०(सचि)408-87 एम.एल.ए.मीटिंग/ 2021-.4489.90 दिनाक 30.03.2021 मुख्य अभियन्ता (यो०एवं०अनु) हि०प्र०स्टे०ई० बो०लि०विद्युत् शिमला 04 से प्रति के साथ प्राप्त हुआ1 जिसमे समस्त विभाग/ हि०प्र०स्टे०ई०बो० लि० से समन्धित मद संख्या 6 कार्यलयों में महिलाओं को लम्बा इन्तजार न करना पड़े इसके लिए अधिकारियों व उनके स्टाफ को आवश्यक दिशां निर्देश जारी किये जाएं1 और कार्य के लिए उनका मार्ग दर्शन भी किया जाए1 जिसे आपके कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही एवंम् दिशा निर्देश हेतू सलंगन किया जाता है1

प्यारेलाल चान्दा
उप सचिव(आर०एण्ड०डी०),
हि0 प्र0 रा0 वि0 परि0 लि0
शिमला–4।

प्रतिलिपि अभियन्ता मुख्य अभियन्ता (यो०एवं०अनु) हि०प्र०स्टे०ई० बो०लि०विद्युत् शिमला 04. को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है1

प्यारेलाल चान्दा
उप सचिव(आर०एण्ड०डी०),
हि0 प्र0 रा0 वि0 परि0 लि0
शिमला–4।

IT Cell HPSEBL V.B. Shimla-4
Sr. EE/ASE (IT-I)
Sr EE/ASE (IT-II)
APS/Shimla

9/4/21

अति आवश्यक
समयबद्ध

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटिड

"राज्य सरकार का उपक्रम"

संख्याःहि.प्र.स्टे.इ.बो.लि.(सचि.)408—87 / एम.एल.ए.मीटिंग / 2021: 4489-90 दिनांकः 30/03/2021

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक),
हि.प्र.स्टे.ई.बो.लि., शिमला—4.

विषयः— **महिला कल्याण बोर्ड की बैठक बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित पत्र संख्याः 14—7 / 2013— महिला कल्याण बोर्ड—5223 दिनांक 01.03.2021 इस कार्यालय में निदेशक, महिला एवं विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—1 से समस्त विभाग / हि0प्र0स्टे0ई0बो0लि0 से सम्बन्धित **मद संख्याः 6 "कार्यालयों में महिलाओं को लम्बा इन्तजार न करना पड़े इसके लिए अधिकारियों व उनके स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए। कार्य के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया जाए"** प्रति के साथ प्राप्त हुआ है। जिसे आपके कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही एवं दिशा निर्देश हेतु संलग्न किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मुद्दे पर उचित एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाए तथा कृत कार्यवाही की नवीनतम रिपोर्ट इस कार्यालय को सूचित करने की अनुकम्पा करें क्योंकि उक्त बोर्ड की बैठक माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचलन प्रदेश की अध्यक्षता में निकट भविष्य में होना सम्भावित है।

EDP(P) 4589

संलग्नः—यथोपरि। (In Original)

भवदीय,

(ई0 राजीव सूद),
मुख्य अभियन्ता (यो.एवं.अनु),
हि.प्र.स्टे.ई.बो.लि. विद्युत भवन,
शिमला—04. फैक्स—0177—2659990
ई.मेलः cepmhpsebl@gmail.com

प्रतिलिपि विशेष सचिव / निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, हि.प्र.स्टे.ई.बो.लि. शिमला—171004 को प्रबन्ध निदेशक के सूचनार्थ प्रेषित है।

मुख्य अभियन्ता (यो.एवं.अनु),
हि.प्र.रा.वि.परि.लि.शिमला—04.

Executive Director (P)
Dy. No. 02279210
Dated 1-4-21

Rsd. Dairy No. 7
Dated 5-4-21

स्मरण पत्र–III
अति आवश्यक

स0 14–7/2013–महिला कल्याण बोर्ड –5223
निदेशालय, महिला एवं बाल विकास, हिमाचल प्रदेश,
सिड़ार होम, बैन्टनी एस्टेट, हिमलैंड, शिमला–171001

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन विभाग, शिमला–2
3. प्रमुख अभियन्ता, जल शक्ति विभाग, जल शक्ति भवन, शिमला–4
4. श्रमायुक्त एवं निदेशक, श्रम एवं रोजगार, विभाग, हिमरस, शिमला–1
5. आयुक्त, उद्योग विभाग,उद्योग भवन, बेम्लोइ, शिमला–1
6. आयुक्त, आबकारी एवं कराधान हिमाचल प्रदेश, कसुम्पटी, शिमला–9
7. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल डाक सेवाएं, हिमाचल प्रदेश सर्कल, शिमला–9
8. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
9. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
10. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, कुसुम्पटी शिमला–9
11. निदेशक, भू–अभिलेख,हिमाचल प्रदेश, कसुम्पटी, शिमला–9
12. निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, कसुम्पटी, शिमला–9
13. निदेशक, उद्यान एवं बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश, नवबहार, छोटा शिमला–2
14. निदेशक, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं विशेष रुप से सक्षम का सशक्तिकरण (ईसोमसा), एस0डी0ए0 परिसर कसुम्पटी, शिमला–9
15. निदेशक, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश, बालुगंज, शिमला–5
16. निदेशक, बागवानी विभाग, नववहार, शिमला–2
17. निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुधन भवन, शिमला–5
18. निदेशक, मत्सय विभाग, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर– 174001
19. निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति, कसुम्पटी, शिमला–9
20. निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग, कसुम्पटी, शिमला–9
21. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
22. आयुक्त, नगर निगम, शिमला–1
23. प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला–3
24. प्रबन्धक निदेशक, महिला तथा हि0 प्र0 अनुसूचित जाति/जन जाति विकास निगम सोलन–173212
25. प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम, कांगड़ा–176001
26. प्रबन्धक निदेशक, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0, विद्युत भवन, शिमला–4
27. राज्य अग्रणी बैंक अधिकारी, आन्चालिक कार्यालय यूको बैंक शिमला–1

MD
CE(P&M)
ED(O)
O.S(R&E)
3/3

दिनांक शिमला–1, 01/03/2021

P.S.
C.E. (P &M)
S.E. (E)
S.E. (C)
Supa

विषय :– महिला कल्याण बोर्ड की बैठक बारे।

महोदया/ महोदय,

CP-15
CP-22

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र सम संख्या दिनांक 21–05–2019 व 17–08–2019 की ओर आकर्षित कर पुनः लिखा जाता है कि हि0 प्र0 महिला कल्याण बोर्ड के गैरसरकारी सदस्यों से प्राप्त आपके विभाग से सम्बधित मदों पर वांछित सूचना अभी तक आपसे प्राप्त नहीं हुई है। उक्त बोर्ड की बैठक माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0 की अध्यक्षता में निकट भविष्य में होना सम्भावित है।

P.S.
C.E. (P &M)
S.E. (E)
S.E. (C)
Supa

R&E Dairy No. 157
Dated 8-3-2021

Chief Engineer P&M 6813 24/03/2021

Reply due to cont-at CP19
CP 24, 25

अतः समस्त विभागों से सम्बधित मदों का विवरण इस प्रकार है।

(30)

मद का विवरण	गैरसरकारी सदस्य जिसके द्वारा पूछा गया है।	सम्बधित विभाग
(1)घरेलु हिंसा व महिला उत्पीड़न व अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं के निपटारे के लिये पंचायत स्तर पर "महिला सुझाव एवं न्याय समीति" का गठन किया जाये। इसका गठन महिला की अध्यक्षता में किया जाये तथा पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों/पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाये।	श्रीमती अनिता गर्ग, सदस्या, हि0प्र0 महिला कल्याण बोर्ड, गांव लहड़ा डा0 व त0 गलोड, जिला हमीरपुर।	महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा पुलिस विभाग,
2. आपातकाल सहायता समूहों का गठन :– पंचायत में जितने महिला मण्ड़ल है, उन्हें सम्मिलित करके पंचायत स्तर पर "आपात सहायता समूह" का गठन किया जाये जो समय–समय पर आपदा या अन्य संकट आने पर उस परिवार की आरम्भिक सहायता कर सकें। ऐसे समूहों को प्रदेष सरकार गठन के समय एक लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रुप में जारी करे। उसके पश्चात हर वर्ष 10,000/–रुपये की राशि उस समूह को अनुदान के रुप में दी जाए। शेष राशि की जरुरत पड़ने पर वह समूह अपने स्तर पर भी धन राशि जुटाने का काम करें।	–उपरोक्त–	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. पंचायत घर, खण्ड़ विकास कार्यालयों उपमण्ड़ल आधिकारी कार्यालयों, तहसीलों व चिकित्सालयों इत्यादि में महिलाओं के बैठने का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।	–उपरोक्त–	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4. श्रम विभाग, कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि व बागवानी विभाग व ऐसे ही अन्य विभागों /बोर्ड़ों के माध्यम से जो योजनायें चलाई जा रही है उनकी जानकारी सम्मेलनों व अन्य माध्यमों से पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।	–उपरोक्त–	श्रम एवं रोजगार, ईसोमसा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन, वन, स्वास्थ्य, मत्सय, महिला तथा हि0 प्र0 अनुसूचित जाति/जन जातिय विकास निगम सोलन एवं हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा
5 सामाजिक सुरक्षा के लिये जितनी भी योजनायें प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार के माध्यम से प्रचलित है, उन की जानकारी आम जनता तक पहुँच सके। उसके लिये भी पंचायत स्तर पर जागरुकता शिविर आयोजित किये जाने चाहिये।	–उपरोक्त–	श्रम एवं रोजगार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ईसोमसा तथा महिला एवं बाल विकास
6 कार्यालयों में महिलाओं को लम्बा इन्तजार न करना पड़े इसके लिए अधिकारियों व उनके स्टॉफ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाए। कार्य के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया जाए।	–उपरोक्त–	समस्त विभाग

All
CEO
ED
EAO

7. बैंको, डाकघरों, बिजली/ पानी के कार्यालयों, कृषि समितियों, कैन्टीन, गैस अभिकरणों चिकित्सालयों या ऐसे ही अन्य कई कांऊटर जॅहा लम्बी – लम्बी लाईने लगी होती है, वहा पर "टॉकन सिस्टम" लागू किया जाए ताकि किसी को भी कई–कई घण्टे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाईनों में खड़ा न रहना पड़े। कार्य के निपटारे में महिलाओं/वृद्धों को प्राथमिकता मिले।	–उपरोक्त–	राज्य अग्रणी बैंक, डाकघर, विद्युत, जल शक्ति, कृषि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले
8 **नशा उन्मूलन कमेटियों का गठन :–** नशे का कारोबार करने वाले बच्चों को अपना शिकार बना रहे है। यह समस्या बहुत जटिल रुप धारण कर चुकी है। मजदूर वर्ग भी इसकी चपेट में अधिक आ चुका है। अप्रवासी कामगारों ने इसे हमारे क्षेत्रों में अधिक फैलाया है। गुटका के ऊपर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है, परन्तु इसका प्रचलन कम नही हुआ है। नशा बेचने बालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। नशा उन्मूलन के लिये पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन हो, जिसमें महिलाओं के अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं व पुलिस के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। यदि ऐसी कोई भी कमेटी बनी हो तो उसकी जानकारी हर पंचायत में उपलब्ध करवाई जाये। जागरुकता शिविर लगाये जाये तथा नशा उन्मूलन केन्द्र पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किये जाये। यदि नशे की विक्री पर अंकुश लग जाये तो 90 प्रतिशत समस्या स्वतः ही हल हो सकती है। प्रायः देखने में आता है कि कुछ लोग कारोवार बाहरी तौर पर करते हैं। परन्तु अन्दरूनी तौर पर वे नशे के कारोबार से जुड़ होते है। कुछ लोग ऊँची पहुंच के कारण बच निकलते है। अतः ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही कार्यवाही अम्ल में लाई जानी चाहिये। कुछ बाजारो में ठेकों के आस–पास या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ढावे या छोटी मोटी दुकानों में बेरोक टोक शराब का प्रयोग होता है, जिसके कारण बहुत से परिवारो में लड़ाई झगड़े होते है। यदि ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया जाए और दोषियों पर कार्यवाही अम्ल में लाई जाये तो बहुत से परिवार बर्बाद होने से बच सकते है।	–उपरोक्त–	पुलिस, स्वास्थ्य, ईसोमसा, आबकारी एवं कराधान
(9) जदामन से मुख्य सड़क से अप्पर भलवाल तक महीने में 2 बार गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं को सिर पर उठा कर सिलेंडर पड़ते है।	–उपरोक्त–	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले
1) विकास खण्डों द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों में 5–5 सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाना।	श्रीमती शीतल भारद्वाज पत्नी श्री सौम राज, गांव/डा0 पन्तेहडा तह0 घुमारवी जिला बिलासपुर।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, तथा उद्योग

2) गरीब ,वृद्ध, विधवा महिलाओं को कम से कम एक बार मुफ्त तीर्थ यात्रा का प्रावधान करवाना।	–उपरोक्त–	भाषा, कला एवं संस्कृति /ईसोमसा
3) विधवा पैन्शन को लगाने के लिये पंचायत प्रस्ताव को ही पर्याप्त समझा जाए,क्योंकि ग्राम सभा पूरी न होने के कारण जरुरतमंद विध्वाओं के मामले लम्बे समय तक अटके रहते है।	–उपरोक्त–	अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं विशेष रुप से सक्षम का सशक्तिकरण (ईसोमसा)
4) जिला सिरमौर के दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं से सम्बन्धित अधिनियमों और योजनाओं जानकारी देनें के लिए विशेष प्रयास किये जानें चाहिये।	–उपरोक्त–	महिला एवं बाल विकास,
1) जहां तक महिलाओं के उत्थान के लिये मूल सुविधाओं का होना अति आवश्यक है जैसे प्रदेश में बहुत से महिला मण्डल के पास अभी तक उठनें बैठनें के लिये कोई भवन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसमें उसे सामुदायिक ढंग से पहुंचा सके। इसमें हर महिला की भागेदारी होना जरूरी है।	श्रीमती रीता ठाकुर, गांव कंगार, ड़ा0 वासनी, जिला सिरमौर	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(ii) <u>सार्वजनिक शौचलाय में पूर्ण सुविधा:–</u> पूर्ण रूप से देखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों में बनाये गये शौचालयों में अधिकांश महिला को प्रताड़ित किया जाता है, जिस महिला को तो गरीब तौर पर देखा जाता है, उसे पैसे देनें हेतु दरवाजे पर बैठे सफाई कर्मचारी द्वारा ही शौच से पहले ही पैसे देने हेतु बाध्य किया जाता है। अधिकांश गरीब महिलायें तो इस शुल्क के भय व मजबुरी की वजह से अपने शौच को रोक कर रखती है, जिससे की कई तरह की बिमारियों का सामना करना पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि जब सरकार द्वारा इतनी भर कम राशी सफाई अभियान पर खर्च की जाती है, तो एक गरीब लाचार महिला के 3 या 5 रूपये से कौन सी महाकमी पूरी हो जायेगी। इस तरह के शुल्क को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और जगह–जगह पर अधिकांश शौचालय बनाये जाने चाहिये ताकि महिलाओं को वीना संकोच के यह सुविधा प्राप्त हो सके।	–उपरोक्त–	शहरी विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
1) ग्राम पंचायत जोल वार्ड न0–1 भरनोली में सामुदायिक भवन बनवाना जो महिला मण्डल तथा गरीब लड़कियों की शादी आदि में काम आ सके।	श्रीमती शीला धीमान गांव व ड़ा0 कुठेड़ तह0 ज्वाली जिला कांगडा	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2) CHC कुठेड़ में महिला प्रसूतिशास्त्री (Ladies Gynecologist) की नियुक्ति करवाना जिससे 15–20 पंचायतों की महिलाओं को नजदीक अस्पताल में सुविधा मिल सके।	–उपरोक्त–	स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण

(1) अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर बने Toilet/ Washroomes में पुरूषों से कोई Charge नहीं लिये जाते है और स्त्रियों से मनमाने पैसे वसूले जाते है। अतः समान अधिकार को मध्यनजर रखते हुए यह बन्द किया जाए।	श्रीमती मीना राणा जिला कांगड़ा	शहरी विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(1) जहाँ तक महिलाओं के उत्थान के लिए मूल सुविधाओं का होना अति आवश्यक है जैसे प्रदेश में बहुत से महिला मण्ड़लों के पास अभी तक उठनें बैठनें के लिए भी कोई भवन की व्यस्था उपलब्ध नही है अतः सामुदायिक भवन बनाने बारे कार्यवाही की जाए। इसमें हर महिला की भागेदारी होना जरुरी है।	श्रीमती कृष्णा भारती जिला सोलन	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
(2) हमारे कसौली में हि0प्र0 कि जो डिस्पैन्सरी (P.H.C.) है, उसमें कृप्या एक महिला डाक्टर की नियुक्ति की जाये, चाहे वह सप्ताह में दो दिन आ जाये।	–उपरोक्त–	स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण
(1) गर्भवती महिलाओं के लिये दूर–दराज के क्षेत्र में स्पैशल मोबाईल शशारीरिक जांच केन्द्र लगवानें जाने चाहिये। क्योंकि अधिकतर स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध नही है।	श्रीमती आशा तोमर गांव व ड़ा0 कमराऊ जिला सिरमौर	स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण
(1.) सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं को अक्सर वहां का स्टाफ एक कमरे से दूसरे कमरें में भेजता है और महिलाएं परेशान होती रहती है महिलाओं के इलाज के लिए हॉस्पिटल में अलग से कोई व्यवस्था हो ताकि कोई असुविधा न हो।	श्रीमती मंजू जरयाल पत्नी श्री विपन कुमार गांव व ड़ाकघर नंगल जरियाला तह0 घनारी जिला ऊना।	स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण
(2)आधार कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य किसी भी तरह के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार प्रयास करें ।	–उपरोक्त	समस्त विभाग समस्त उपायुक्त
(1) जन–जातिय क्षेत्र जिला किन्नौर में महिलाओं को पैतृक सम्पति का अधिकार यानी बेटियों को तो शादी /ता उम्र पिता की अचल सम्पति व पत्नी को ता उम्र/ता जिन्दगी पति की अचल सम्पति का अधिकार दिलवाने बारे।	श्रीमती प्रतीशवरी नेगी जिला किन्नौर	राजस्व विभाग
1)चल/अचल सम्पति में कानूनी अधिकार बारे मेरा सुझाव यह है कि बेटियों की शादी होनें के बाद जिस तरह से पंचायत रिकार्ड में एक जगह से नाम काट कर दूसरी जगह दर्ज किया जाता है,उसी तरह जमीन आदि चल अचल सम्पति में भी लड़की का नाम दर्ज किया जाये। यह जरूरी किया जाये कि शादी के बाद ससुराल पक्ष में लड़की के नाम जमीन का अधिकार सामान रूप से पति पत्नि का बराबर का हो उस में महिलाओं पर पुरूष प्रधानता और जो अधिक उत्पीड़न होता है या फिर तलाक की अधिकता है उसमें भी कमी आयेगी। चल अचल सम्पति में अधिकार होने से पक्षों में आपसी बराबर का अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होगी। यह अधिकार पंचायत में नाम दर्ज पर ही प्राप्त होगा।	श्रीमती रीता कश्यप, गांव सेर– चिराग ड़ा0 जौणाजी तह0 व जिला सोलन।	राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

(1) जमीन महिलाओं के नाम पर समान रूप से होनी चाहिए यदि पति के नाम पर जमीन है जो पत्नी के नाम पर भी बराबर होनी चाहिए। राजस्व विभाग मे महिला को महिला किसान का दर्जा नही है तथा उसे भी बराबर किसान का दर्जा दिया जाए तथा रजिस्ट्री करते समय उसमें पत्नी का नाम भी दर्ज हो। पिता की सम्पति से कानूनी रुप से बेटी को जमीन का हक जो दिया गया है परन्तु वह बेटी को प्राप्त नही हो पाता क्योंकि वह लेना भी चाहती हो तो भाई भाभी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नाराजगी जताई जाती है।	श्रीमती वन्दना गुलेरिया, गांव व डाकघर चालथरा तह0 सरकाघाट जिला मण्डी	राजस्व विभाग
(1)गैर कानूनी शराब बेचने वालों तथा नशे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।	श्रीमती अन्जु शर्मा, गावं कोहण डा0 सराऔपिपलू, तह0 सरकाघाट जिला मण्डी	आबकारी एवं कराधान/ पुलिस
(1)चक्कर क्षेत्र में बसों की उचित सुविधा उपलब्ध नही है शाम के समय महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है अतः से निवेदन है कि शाम के समय बसों की उचित सुविधा प्रदान की जाए।	श्रीमती तृप्ता वर्मा, सदस्या, हि0प्र0 महिला कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश।	हिमाचल पथ परिवहन निगम
(2)हिमाचल पथ परिवहन निगम की टैक्सी सुविधा जो CTO चौक तक है जो कि कार्ट से चलती है और वहीं पर सवारियों से भर जाती है जिस कारण लोअर चक्कर में महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः से निवेदन है कि HRTC की टैक्सी सुविधा अलग से लोअर चक्कर में चलाई जाए जिसका महिलाएं व वरिष्ठ नागरिक लाभ उठा सके तथा HRTC टैक्सी छुट्टी वाले दिनों में भी चले ।	--उपरोक्त--	हिमाचल पथ परिवहन निगम

अतः आपसे निवेदन है कि आपके विभाग से सम्बधित मदों पर तुरन्त कार्यवाही करके सूचना इस निदेशालय को 05-03-2021 तक भेजना सुनिश्चित करे ताकि आपके विभाग से प्राप्त सम्बधित मददों के उत्तर को बैठक की कार्यसूचि में सम्मिलत किया जा सके।

भवदीया,

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश।